

प्रेषक,


एन.एस.डुगरियाल,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,  
उद्योग निदेशालय, देहरादून।

A. D.  
02.2.21

J. D. (M)  
3/2/21



औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 29 जनवरी, 2021

विषय: भारत सरकार, से जी0एस0डी0पी0 का 2% अतिरिक्त **Borrowing** प्राप्त करने हेतु राज्य में खनिजों से सम्बन्धित सेवाओं को ऑन लाईन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2684/भू.खनि.ई./ए.खि./59-इन्फोर्समेंट/2020-21, दिनांक 21.01.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से उद्योग विभाग द्वारा संचालित "Ease of Doing Business" तथा "Single Window" के अन्तर्गत भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की खनन सम्बन्धी निम्नलिखित सेवाओं को <https://investuttarakhand.com/> में Online किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

1. Mining Lease (e-auction)/Composite License/Non-exclusive Reconnaissance Permit
2. Mining Lease (application)/ Composite License/Non-exclusive Reconnaissance Permit
3. NOC for soil excavation/filling
4. Issue of Letter of intent in case of fresh lease (for EC-category B2-less than 5 acres)
5. Stone Crusher/Screening Plants/Storage License
6. Renewal of Stone Crusher/Screening Plants/Storage License
7. Sanction of storage of construction material

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उद्योग विभाग द्वारा संचालित "Ease of Doing Business" तथा "Single Window" के अन्तर्गत प्रश्नगत सेवाओं को <https://investuttarakhand.com/> में Online किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,  
(एन.एस. डुगरियाल)  
संयुक्त सचिव।

संख्या / VII-A-1 / 2021-05(30) / 2020टी.सी, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल।
3. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(एन.एस. डुगरियाल)  
संयुक्त सचिव।